संख्या 1224/XIV–1/2009

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनॉक 24 दिसम्बर, 2009

विषयः– केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत राज्य के चमोली जिले में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 में अन्तिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 5035/नियो0/आई0सी0डी0पी0–चमोली/2009 दिनांक 11.11.2009 तथा निगम के पत्र संख्याः–रा.स.वि.निः 3–29(2)/2001–आईसीडीपी, व समसंख्यक–/24 पत्र दिनांक 17.09.2009 के सन्दर्भ तथा शासनादेश संख्या –97/2005/XIV-1/2005, दिनांक 23 मार्च, 2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, चमोली के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 में रू0 15,42,000.00 अंशपूंजी तथा रू0 7,58,000.00 रू0 ऋण अर्थात कुल रू0 23,00,000.00 (रूपये तेईस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त धनराशि की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को की जायेगी। उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निर्दिष्ट कार्य में व्यय करने हेतु सम्बन्धित पी0आई0ए0/जिला सहकारी बैंक लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

(1) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत धनराशि के उपयोग की मदवार/लक्ष्यवार अद्यतन वित्तीय भौतिक प्रगति शासन को त्रैमासिक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना के अन्तर्गत अब तक स्वीकृत सभी ऋणो की प्रतिपूर्ति हो चुकी है और उसे कोषागार के सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है।

(3) स्वीकृत अंशपूजी, ऋण एवं अनुदान की धनराशि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मूल रूप में स्वीकृत परियोजना में उल्लिखित शर्तो/मदों/लक्ष्यों के अनुसार व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि, निगम की परियोजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व समय समय पर निर्गत शर्तो के अनुरूप नियंत्रित होगी।

(5) इन शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी निबन्धक, सहकारी समितिया, उत्तराखण्ड की होगी।

(6) आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं इसकी सूचना यथा समय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को तथा राज्य सरकार को त्रैमासिक रूप से उपलब्ध कराना होगा और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि के उपयोग की कार्यवाही की जानी होगी।

(7) पैरा–1 में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग में नही लाई जायेगी। परियोजना का नियमानुसार लेखा परीक्षण, मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड द्वारा भी किया जा सकता है।

2. इस शासनादेश के प्रस्तर –1 में निर्धारित विशिष्ट शर्तो के अनुपालन विभागों /उपकमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना, पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दें दी जाय।

2. **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पत्र दिनांक 17सितम्बर, 2009 द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप दिनांक 31.12.2009 के पश्चात परियोजना पर कोई व्यय नही किया जाय तथा परियोजना की अवधि दिनांक 31.12.2009 को स्वतः समाप्त मानी जायेगी।**

3. उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय व्ययक में सहकारिता विभाग के सम्बन्धित अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

लेखाशीर्षक	**स्वीकृत धनराशि (हजार रूपये में)**
4425–सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत	
00–	
200–अन्य निवेश	
03– समितियो की अंशपूंजी में विनियोजन (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम)	
00–	
30–निवेश/ऋण	1542
6425–सहकारिता के लिये कर्ज–आयोजनागत	
00–	
800– अन्य कर्ज	
04–एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)	
00–	
30–निवेश/ऋण	758
योग–	**2300**

(रूपये तेईस लाख मात्र)

ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–332 (P)/XXVII–4 /2009 दिनांक 23.12. 2009 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।

संख्याः–122A /XIV–1/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, सहकारिता को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, एफ0आर0डी0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
4. वित्त/ नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली।
6. जिलाधिकारी, चमोली, उत्तराखण्ड ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
8. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
9. जिला सहायक निबन्धक,सहकारी समितियां, चमोली उत्तराखण्ड।
10. सचिव/ महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0, चमोली।
11. निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।